न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 77/18 GCMS NO 2018/00212

1. रामेश्वर सिह पुत्र हरनाथ सिह
2. छीतर सिह पुत्र हरनाथ सिह
3. रघुवीर सिह पुत्र हरनाथ सिह
4. नारायण सिह पुत्र हरनाथ सिह
5. नयन सिह पुत्र हरनाथ सिह
6. रमेश सिह पुत्र हरनाथ सिह
7. सुरेश सिह पुत्र हरनाथ सिह
8. प्रेम सिह पुत्र हरनाथ सिह
9. विकय सिह पुत्र हरनाथ सिह
10. राजूसिह पुत्र हरिसिह
11. दिलीप सिह पुत्र हरि सिह
12. मुन्नी कंवर बेवा हरि सिह
13. भानू प्रताप पुत्र किशन सिह
14. राजा सिह पुत्र किशन सिह
15. रेखा पत्नि किशन सिह जातियान राजपूत निवासीयान मोरपा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

वनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास
2. नायब तहसीलदार उप तहसील बरनाला
3. पटवार हल्का मोरपा
4. सचिव ग्राम पंचायत मोरपा पंचायत समिति बामनवास
5. समुन्द्र सिह पुत्र कंचन सिह जाति राजपूत निवासी मोरपा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 31/10 निर्णय व डिक्री दिनांक 4.7.17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री योगेश शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 पैरोकार सरकार, श्री मो0इस्लाम खान

दिनांक 8.1.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 4.7.17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाट के पिता हरनाथ सिह ने एक वाद पत्र बाबत घोषणा खातेदारी मय दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक ख0न0 181 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा मौजा मोरपा मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

स्थित है। जिसकी खातेदारी साबिक रिकार्ड मे हरनाथ सिह के नाम दर्ज है। जिसे वादी ही वहैसिकय काबिज काश्त करता चला आ रहा है। साबिक ख0न0 181 का भू प्रबंध विभाग द्वारा ख0न0 453 रकबा 17 ऐयर कायम किया गया है व खातेदारी साबिक रिकार्ड के अनुसार वादी के नाम दर्ज है। वादी द्वारा अपनी उक्त खातेदारी की भूमि मे एक चाह का निर्माण करवाया गया जो वर्तमान मे मौजूद है। साबिक रिकार्ड के अनुसार वादी के नाम 26 ऐयर भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियो ने वादी के नाम केवल ख0न0 452 रकबा 17 ऐयर ही खातेदारी मे दर्ज की गई है। जो साबिक रिकार्ड के अनुसार 9 ऐयर रकबा कम है। उक्त कम रकबे के लिए वादी अलग से वाद प्रस्तुत करेगा। वादी उक्त आराजीयात का वैध खातेदार है। प्रतिवादीगण का वादी की इस खातेदारी से कोई ताल्लुक वास्ता नही है। उक्त साबिक ख0न0 से बने हाल ख0न0 453 रकबा 17 ऐयर का वादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण को वादी की भूमि को किसी अन्य के नाम दर्ज करने या भूमि को सिवायचक या अन्य किसी प्रकार की इन्द्राज दुरूस्ती करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण मात्र रजिस्टर्ड विकय पत्र या वैध हस्तांतरण विलेख के आधार पर या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश पर ही वादी की भूमि को किसी अन्य के नाम अंतरित कर सकते है। अन्यथा वादी की भूमि को सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने ग्रामवासियो से साज कर वादी को नुकसान पहुँचाने की नीयत से बिना किसी प्रकार की कोई न्यायिक प्रकिया अपनाये बिना बैध खातेदार को सुने मनमाने तरीके से फर्जी तरीके से अवांछित लाभ प्राप्त करने की नियत से वादी की खातेदारी की भूमि ख0न0 453 मे से 7 ऐयर भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा नक्शे मे तरमीम कर दिया। पटवारी हल्का द्वारा उप तहसील बरनाला के आदेश की पालना मे ख0न0 839/453 रकबा 10 ऐयर व 453 रकबा 7 ऐयर नक्शे मे तरमीमं कर दिया तथा ख0न0 453 को , जो कि चाह है सिवायचक दर्ज कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा जानबूझकर कूटरचित रचना रचकर वादी की खातेदारी की भूमि व नक्शे मे वादी को नुकसान करने की गर्ज से समस्त कार्यवाही की है। जिसके लिए वादी सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करेगा। राजस्व रिकार्ड मे की गई उक्त फर्जीयत का ज्ञान वादी को नही था। पटवारी हल्का से नकल लेने से रकबा कम होने का ज्ञान हुआ। वादी द्वारा उक्त रकबे का कम करने के बाबत प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से कहा तो उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जबाब नही देने पर वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। इस प्रकार वादी की खातेदारी मे से कम किये गये रकबे 7 ऐयर को पुनः वादी की खातेदारी मे दर्ज किया जाकर उसी अनुसार नक्शे मे दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी की खातेदारी की उक्त आराजीयात मे किसी प्रकार का व्यवधान नही करे वादी को बेदखल नही करे। किसी प्रकार का निर्माण या अतिकमण की कार्यवाही नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/अपीलांट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय से चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद का निस्तारण राजस्व लोक अदालत बाटौदा मे किया गया है जो गलत होने से निरस्त योग्य है। राज्य सरकार के द्वारा लोक अदालत केम्पो मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण करने का आदेश दिया गया था जिनमे दोनो पक्षकारान लोक अदालत केम्प मे उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप मे राजीनामा पेश करे। उक्त प्रकरण मे न तो पक्षकारान उपस्थित रहे है न ही पक्षकारान को कोई सूचना दी गई है न ही पक्षकारान द्वारा निर्धारित प्रारूप मे राजीनामा पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमानी तरिके से निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। निर्णय के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही मात्र रेस्पो0 को कानून से उपर उठकर अनुतोष देने का मन बनाकर निर्णय दिया गया है जो गलत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया कि वादी द्वारा दुरूस्ती चाही गई है जो बिना साक्ष्य लिये तथा दस्तावेजी के प्रदर्शित हुए बिना तय नही की जा सकती है। बिना तनकी बिचरीत किये तथा बिना साक्ष्य लिये प्रकरण का निस्तारण कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुने बिना ही एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। दिनांक 4.7.17 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत केम्प बाटोदा मे पत्रावली की कोई सुनवाई नही की गई। अपीलांट व रेस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नही था न तो पत्रावली पर रेस्पो0 द्वारा दिया गया कोई प्रार्थना पत्र है न ही उपस्थिति के हस्ताक्षर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रकिया के विरूद्व निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। प्रकरण मे अपीलार्थी को अधिवक्ता द्वारा लगातार तारीख पेशियां दी गई है जबकि अपीलार्थीगण को दिनांक 10.7.18 को राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ से जारी केवियट के नोटिस जारी होने पर निर्णय की जानकारी हई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावनाओ का सम्मान नहीं किया गया है तथा मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है। लोक अदालत मे उभयपक्ष की समझाईश के आधार पर ही सहमति से निर्णय पारित किये जा सकते है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे अंकित आराजीयात को सिवायचक दर्ज भू प्रबंध विभाग द्वारा किया गया है जिसकी दुरूस्ती हेतु वाद पत्र भू प्रबंध विभाग मे वादी को करना चाहिए था जो उनके द्वारा भू प्रबंध विभाग ने नही कर अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से भी निरस्त योग्य होने से विधि के अनुसार ही निरस्त किया गया है। नक्शे मे तरमीम [illegible] लेख निरीक्षक द्वारा की गई है जिसको वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नहीं बनाया गया है। [illegible] ख0न0 181 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा का इन्द्राज खातेदारी [illegible] तरीके से राजस्व कर्मचारियो से

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

साजकर अपने हक मे करवा लिया, जबकि वादी कोई भूमिहीन व्यक्ति नही है वादी के खाते मे पहले से ही 25 बीघा से अधिक भूमि है। वादी की इस भूमि के नवीन ख0न0 321 रकबा 6 ऐयर, 322 रकबा 1.25 है0, कायम हुए है जिसमे से ख0न0 322 मे 1 बीघा 6 विस्वा भूमि साबिक ख0न0 181 की है। वादी की भूमि साबिक ख0न0 181 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा के हाल ख0न0 321 रकबा 6 ऐयर , 322 रकबा 1.25 है0 कायम हुए है। जिस पर वादी का कब्जा है। इस प्रकार साबिक ख0न0 181 मे से वादी को 1 बीघा 1 विस्वा के स्थान पर 1 बीघा 11 विस्वा भूमि मिल चुकी है। साबिक ख0न0 181 काफी बडा है जिसके काफी नम्बर कायम हुए है मिलान क्षेत्रफल मे हाल ख0न0 453 को साबिक ख0न0 181 से बनना बता दिया है जबकि यह नम्बर साबिक ख0न0 186 से बना है। हाल ख0न0 453 का इन्द्राज खातेदारी वादी के नाम गलत हो गया है। ख0न0 453 व 839/453 के किसी भी हिस्से पर वादी का कब्जा नही रहा है। इस भूमि पर कभी काश्त नही हुई है न ही काश्त के योग्य है। ख0न0 453 मे चाह सार्वजनिक है। ख0न0 453 के पास मे ख0न0 454 आबादी की भूमि है,. ख0न0 454 के वाशिन्दो ने ख0न0 453 मे सार्वजनिक चाह बनवाया है। पंचायती हथाई, एक शिवालय व सीताराम जी का मंदिर बनाया है। जो पुराने है। हथाई पर पंचायत होती है। मंदिर मे लोक दर्शनार्थ आते है। इस भूमि मे सार्वजनिक मैदान भी है। ख0न0 453 मे होकर आबादी का रास्ता है। इस प्रकार ख0न0 453 व 839/453 सार्वजनिक भूमि है। न कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की । वादी की खातेदारी मे ख0न0 181 मे केवल 1 बीघा 1 विस्वा भूमि थी जिसकी एवज मे उसे नवीन ख0न0 321 व 322 मिल चुके है। इस तथ्यो को छिपाकर वादी ने गलत तथ्यो के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय मे दावा पेश किया था। ख0न0 453 से अपीलांट/वादी का कोई सबंध वास्ता नही है। यह भूमि सार्वजनिक है। इस भूमि को अपीलांट/वादी ने कभी काश्त नही किया है। उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कराने हेतु आम जनता ग्राम मोरपा की और से तहसीलदार बामनवास को प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर तहसीलदार ने मौके पर जाकर वादी हरनाथ सिह का पुत्र रामेश्वर सिह को तलब किया जाकर रामेश्वर सिह के आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मे सार्वजनिक कुआ,मंदिर आदि का होने का स्पष्ट अंकन है। जिसके आधार पर ही तहसीलदार बामनवास द्वारा दिनांक 21.8.89 को निर्णय जारी कर ख0न0 453 मे से रकबा 7 ऐयर सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये है। जिसकी पालना मे दिनांक 23.11.89 को नामा0 तस्दीक किया जाकर अमल दरामद किया गया है। इस प्रकार 7 ऐयर सिवायचक का इन्द्राज न्यायालय के आदेश के द्वारा किया गया है। जिसकी वादी/अपीलांट द्वारा कोई अपील पेश नही की गई है। एक ही भूमि के बाबत वादी द्वारा दूसरा वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था जो भी रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी मे आता है। इस प्रकार भूमि सिवायचक दर्ज होने के कारण लोक अदालत की भावना से ही निर्णय पारित किया गया है। हाल व साबिक नक्शा ट्रेस तथा मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि हाल ख0न0 453 साबिक ख0न0 184 व 186 से बना है। सेटलमेंट ने हाल ख0न0 453 को साबिक ख0न0 181 से बनना बताया है जो गलत है। वादी को अपने साबिक रकबा 1 बीघा 1 विस्वा की भूमि ख0न0 321 व 322 मे मिल चुकी है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने माना है। इस प्रकार वादी/अपीलांट का कोई रकबा कम नही हुआ है। विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:21:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आराजीयात सार्वजनिक होने से एवं आम जन का हित होने के कारण ही प्रकरण लोक अदालत मे नियत कर विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है। जो न्यायिक निर्णय है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी द्वारा साबिक ख0न0 181 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा के हाल ख0न0 453 रकबा 7 ऐयर एवं ख0न0 839/453 रकबा 10 ऐयर ग्राम मोरपा का वादी को खातेदार घोषित कराने हेतु वाद पत्र पेश किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 समुन्द्र सिह द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 839/453 रकबा 10 ऐयर को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने पर यह अपील पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण मे दिनांक 30.3.17 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.7.17 नियत की गई है परन्तु नियत दिनांक 6.7.17 से पूर्व ही पत्रावली 28.6.17 को पेशी पर ली जाकर आगामी पेशी दिनांक 4.7.17 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 4.7.17 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प ग्राम पंचायत बाटोदा पर पेश हुई। जिसकी आदेशिका दिनांक 4.7.17 पर स्पष्ट उल्लेख है कि वादी उपस्थित नही। प्रतिवादी न0 5 उपस्थित। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की अनुपस्थिति मे प्रकरण मे निर्णय पारित किया गया है। जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से अपीलांट की अपील रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बामनवास के मु0नं0 31/10 निर्णय व डिकी दिनांक 4.7.17 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। चूकिः विवादित आराजीयात मे आम जन का हित निहित होना प्रतीत होता है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 31/10 के अंतिम निर्णय तक विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.02.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 8.1.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner